



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 6684/02/परीक्षा/2009-18

रायपुर, दिनांक 22 JAN 2022

"राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2021 के संबंध में संशोधित महत्वपूर्ण सूचना"

आयोग के विज्ञापन क्र. 09/2021/परीक्षा दिनांक 26.11.2021 के तहत राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2021 की लिखित परीक्षा दिनांक 13 फरवरी 2022 (रविवार) को दो सत्रों में 17 जिला क्रमशः – सरगुजा (अम्बिकापुर), बैकुण्ठपुर (कोरिया), धमतरी, दुर्ग (भिलाई), दंतेवाड़ा, बस्तर (जगदलपुर), जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासुमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार एवं बिलासपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी।

2/ उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, या जो अपने दाएं-बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा अधिकृत जिला कलेक्टरों द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता बारहवीं (10+2) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी, सह लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सह लेखक की दो पासपार्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, सह-लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ परीक्षा तिथि के 07 दिवस पूर्व संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय से अनिवार्यतः संपर्क करें।

3/ अभ्यर्थी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2021 में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

4/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर